डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन सिटी जिला करौली
इजलास श्री सुरेश कुमार यादव, R.A.S.

उनवान

1.	गिरधारी	पिसरान प्रीतम जाति जाट निवासी खीप का पुरा
2.	मेघराम	तहसील हिण्डौन जिला करौली ––––––––––वादीगण

बनाम

1.	जवाहरसिंह	पिसरान रामसहाय जाति जाट निवासी खीप का पुरा
2.	मानसिंह	तहसील हिण्डौन जिला करौली
3.	बहादुर	

4. लखनलाल पुत्र रूपसिंह जाति जाट निवासी खीप का पुरा तह0 हिण्डौन
5. ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओ.बी.सी.) हिण्डौन सिटी तामील जरिये शाखा प्रबन्धक, ओ.बी.सी हिण्डौन सिटी –––––––––––––– प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा — मुकदमा नं0130 / 2014

उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी, जिला–करौली

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री कन्हैयालाल शर्मा एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू .....मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 656 रकबा 17 बिस्वा के दौराने सेटिलमेन्ट कायम किये गये हाल खसरा नम्बर 2595 रकबा 0.20 है0 ग्राम खीप का पुरा तहसील सूरौठ के खातेदार जवाहरसिंह मानसिंह बहादुरसिंह पि0 रामसहाय हि01/2 राहिन ओबीसी शाखा हिण्डौन लखनलाल पुत्र रूपसिंह हि01/2 जाति जाट सा0देह खातेदार के स्थान पर वादीगण गिरधारी, मेघराम पिसरान प्रीतम जाति जाट निवासी खीप का पुरा को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा पूर्व के इन्द्राज हजफ करने के आदेश दिये [illegible]था रहन मुर्तहिन का इन्द्राज प्रतिवादीगण की शेष आरा[illegible] पर यथाव[illegible]हेगा। हाल खसरा नम्बर 2595 रकबा 0.20 है0 ग्राम खीप [illegible] [illegible]रौठ पर रहन मुर्तहि[illegible] इन्द्राज नहीं रहेगा। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.26 11:49:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

विवादित आराजी खसरा नम्बर 2595 रकबा 0.20 है0 ग्राम खीप का पुरा तहसील सूरौठ में वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत प्रतिवादीगण ना तो स्वंय करें और ना ही किसी अन्य से करावें। उक्त भूमि को वादीगण को शान्ति पूर्वक काश्त करने देवें। प्रतिवादीगण ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि जिससे वादीगण के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे। तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.02.2021 को यह डिक्री जारी की गई।

26.02.2021
सुरेश कुमार यादव
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.26 11:49:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 130/2014 तारीख रजू:– 21.10.2014

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेश कुमार यादव

R.A.S.

1. गिरधारी | पिसरान प्रीतम जाति जाट निवासी खीप का पुरा
2. मेघराम | तहसील हिण्डौन जिला करौली ————————वादीगण

बनाम

1. जवाहरसिंह | पिसरान रामसहाय जाति जाट निवासी खीप का पुरा
2. मानसिंह | तहसील हिण्डौन जिला करौली
3. बहादुर |
4. लखनलाल पुत्र रूपसिंह जाति जाट निवासी खीप का पुरा तह0 हिण्डौन
5. ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओ.बी.सी.) हिण्डौन सिटी तामील जरिये शाखा प्रबन्धक, ओ.बी.सी हिण्डौन सिटी ———————— प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

दावा घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री कन्हैयालाल शर्मा एडवोकेट वादीगण

निर्णय

दिनांक :– 26.02.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी ने दावा बाबत् घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 656/1 रकबा 17 बिस्वा वारानी अब्बल वाके ग्राम खीप का पुरा तहसील हिण्डौन सिटी पहले रामसहाय, रूपसिंह पिसरान कंचन जाति जाट निवासी खीप का पुरा तहसील हिण्डौन सिटी के कब्जा काश्त तथा खातेदउारी की भूमि थी। जिसे उक्त रामसहाय व रूपसिंह ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा मुवलिग 7000/–रूपया में दिनांक 21.07.1989 को वादीगण से चूकती रकम प्राप्त कर वादीगण को कतई तौर पर विकय कर कब्जा वादीगण को करा दिया था। तब से वादीगण उक्त भूमि को दिनांक 21.07.1989 से लगातार रूप से शान्तिपूर्वक बतौर खातेदार काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमि को वादीगण ने अपने धन व श्रम से काबिल काश्त बनाया है। जिसे वादीगण ने चारों तरफ से डौल मैंढ से महदूद कर रखा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.26 16:49:14 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि वादीगण अनपढ तथा ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं। कायदे कानून को समझते नहीं है। इसलिए वादीगण ने उक्त रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 21.07.1989 मुतजिका मद नं01 वाद पत्र के

उपखण्ड अधि... हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

आधार पर खातेदारी नहीं करायी और वयनामा अपने पास रख लिया। लेकिन वादीगण उक्त भूमि को शान्ति पूर्वक प्रतिवादीगण की जानकारी में काश्त करते चले आ रहे हैं।

वाद पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि भू–प्रबन्ध अधिकारीगण ने उपरोक्त भूमि मुतजिका मद नं01 वाद पत्र के नवीन खसरा नम्बर 2595 रकबा 20 एयर कायम किया है।

वाद पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि साबिक खातेदार रामसहाय एवं रूपसिंह अरसा करीब 15 साल पूर्व फौत हो चुके हैं। जिनके वारिसान प्रतिवादीगण सं01 ता 4 हैं। इसलिए भू–प्रबन्ध अधिकारीगण एवं राजस्व अधिकारीगण ने उक्त भूमि मुजिका मद नं03 वाद पत्र की खातेदारी प्रतिवादीगण के हक में दर्ज कर दी है। इसलिए उन्हें प्रतिवादी बनाया है तथा प्रतिवादी सं01 ता 3 ने प्रतिवादी सं05 ओबीसी बैंक से कर्जा लेकर साधारण रहन रख दिया है। इसलिए ओ.बी.सी. बैंक को पक्षकार बनाया गया है।

वाद पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि वादीगण ने दिनांक 03.10.2014 को उक्त भूमि पर बैंक से लोन लेने के लिए पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का ने बताया कि तुम्हारे नाम पर तो यह जमीन है ही नही तो तुम्हें लोन कहॉ से मिलेगा। इस पर वादीगण ने उक्त रजिस्टर्ड वयनामा मुतजिका मद नं01 वाद पत्र के आधार पर खातेदारी कराने के लिए प्रतिवादीगण नं01 ता 4 से कहा कि भाईयों तुम्हारे पिताजी रामसहाय, रूपसिंह ने उक्त जमीन को हमें जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 21.07.1989 को बेचकर कब्जा करा चुके हैं। इसलिए उक्त रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर हमारे नाम खातेदारी कराओ तो प्रतिवादीगण खातेदारी कराने से इन्कार हो गये और वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकी दी। इसलिए दावा हाजा बाबत् घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना लाजिम आया।

वाद पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि विनाय दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण दिनांक 03.10.2014 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से विवादित भूमि की खातेदारी कराने की कहने पर इन्कार होने के कारण अन्दर हदूद आराजी वाके ग्राम खीप का पुरा तहसील हिण्डौन पैदा हुआ इसलिए दावा हाजा अन्दर मियाद पेश है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा डिकी किया जाकर आराजी साबिक खसरा नम्बर 656/1 रकबा 17 बिस्वा वाके ग्राम खीप का पुरा तहसील हिण्डौन जिसके भू–प्रबन्ध अधिकारीगण ने नवीन खसरा नम्बर 25[illegible] 20 एयर कायम किया है का वादीगण को खातेदार का[illegible] तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उक्त भूमि की खातेदारी [illegible] की जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से [illegible] कि प्रतिवादीगण ना तो स्वंय और ना ही दीगर व्यक्तियों की मदद से विवादित भूमि नवीन खसरा नम्बर 2595 रकबा 20 एयर वाके ग्राम खीप का पुरा तहसील हिण्डौन के वादीगण के कब्जा काश्त में

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.26 11:49:14 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

माने मजाहमत मदाखलत पैदा ना करें। वादीगण को शान्ति पूर्वक काश्त करते रहने देवें। विवादित भूमि को वेस्ट डेमेज एण्ड एलीनेट ना करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील वादीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2038 से 41 प्रदर्श–1,असल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उनवानी रामसहाय रूपसिंह बहक गिरधारी मेघराम दिनांक 21.07.1989 प्रदर्श–2, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 ग्राम खीप का पुरा प्रदर्श–4 पेश किये है तथा जुवानी सहादत में वादी गिरधारी, एवं ओमी पुत्र खेमचन्द ब्राहम्ण निवासी वमनपुरा के शपथ पत्र पेश किये हैं।

वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और वादीगण का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उसमें उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया।

नकल जमाबन्दी सं0 2038 से 41 प्रदर्श–1 के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 656 रकबा 17 बिस्वा वाके ग्राम खीप का पुरा (जगर) तहसील हिण्डौन की खातेदारी रामसहाय व रूपसिंह पि0 कंचन जाट निवासी खीप का पुरा के नाम दर्ज रिकार्ड है।

असल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उनवानी रामसहाय रूपसिंह बहक गिरधारी मेघराम दिनांक 21.07.1989 प्रदर्श–2 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 656 रकबा 17 बिस्वा ग्राम खीप का पुरा (जगर) तहसील हिण्डौन को खातेदार रामसहाय व रूपसिंह पि0 कंचन जाति जाट निवासी खीप का पुरा (जगर) तहसील हिण्डौन ने वादीगण गिरधारी, मेघराम पिसरान प्रीतम जाति जाट निवासी खीप का पुरा (जगर) तहसील हिण्डौन को 7000/–रूपया में विक्रय कर समस्त विक्रय धन राशि रोकडी प्राप्त कर मौके पर कब्जा कराना दर्ज है। उक्त विक्रय पत्र उप पंजीयक हिण्डौन के यहॉ रजिस्टर्ड हुआ है।

नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3 के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 656 रकबा 17 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 2595 रकबा 0.20 है0 कायम किये गये हैं।

नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 ग्राम खीप का पुरा प्रदर्श–4 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 2595 रकबा 0.20 है0 ग्राम खीप का पुरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी प्रतिवादीगण जवा[illegible]नसिंह बहादुर पि0 रामसहाय हि0 1/2 राहिन ओ0बी0सी0 शाखा हिण्डौन, [illegible]लाल पुत्र रूपसिंह हि01/2 जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.26 11:49:14 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रकरण में तहसीलदार हि[illegible] से विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 2595 रकबा 0.20 है0 ग्राम खीप का पुरा की मौके की रिपोर्ट मंगाई गई। तहसीलदार हिण्डौन ने पत्रांक एलआर/2019/237 दिनांक 22.05.2019 से मौके

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

की जॉच रिपोर्ट मय फर्द मौका पेश की है। फर्द मौका कब्जा रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक वृत शेरपुर एवं पटवारी पटवार मण्डल जगर ए ने अंकित किया है कि आज दिनांक 17.05.2019 को मुताविक आदेश तहसीलदार हिण्डौन के पत्रांक कोर्ट /2019/799 दिनांक 28.03.2019 की पालना में मय राजस्व रिकार्ड के पटवारी श्री पुष्पेन्द्रसिंह के साथ ग्राम खीप का पुरा के खसरा नम्बरा 2595 रकबा 0.20 है0 के मौके पर पहुँचे। उक्त खसरा नम्बर वर्तमान राजस्व रिकार्ड के मुताविक जवाहरसिंह पुत्र रामसहाय हि01/6, बहादुर पुत्र रामसहाय हि01/6, मानसिंह पुत्र रामसहाय हि01/6 जाति जाट व लखन पुत्र रूपसिंह जाति जाट हि01/2 की खातेदारी में है। उक्त खसरा नम्बर के बारे में कब्जा की मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों से जॉच की गई तो ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि गिरधारी पुत्र पीतम व मेघराम पुत्र पीतम का कब्जा काश्त होना बताया गया है। वर्तमान में मौके पर खाली पडा है। उपस्थित व्यक्तियों को पढकर सुनाया गया तथा मौके पर ग्रामवासियों के हस्ताक्षर कराये गये।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 656 रकबा 17 बिस्वा को पूर्व खातेदार रामसहाय व रूपसिंह पि0 कंचन जाति जाट निवासी खीप का पुरा(जगर) के द्वारा वादीगण गिरधारी व मेघराम पिसरान प्रीतम जाट निवासी खीप का पुरा तहसील हिण्डौन को दिनांक 21.07.1989 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान किया जा चुका है और मौके पर क्रेतागण गिरधारी व मेघराम को कब्जा संभलाया जा चुका है। इस प्रकार वादीगण उक्त विवादित आराजीयात पर वादीगण खरीद की दिनांक 21.07.1989 से मौके पर काबिज काश्त होना साबित है। किन्तु उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का अमल राजस्व रिकार्ड में आदिनांक तक नहीं हुआ है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में दर्ज आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 656 रकबा 17 बिस्वा के दौराने सेटिलमेन्ट हाल खसरा नम्बर 2595 रकबा 0.20 है0 ग्राम खीप का पुरा (जगर) कामय किये गये हैं तथा हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं0 2070-73 में हाल खसरा नम्बर 2595 रकबा 0.20 है0 ग्राम खीप का पुरा (जगर) की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादीगण जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.07.1989 के आधार पर साबिक खसरा नम्बर 656 रकबा 17 बिस्वा के दौराने सेटिलमेन्ट हाल खसरा नम्बर 2595 रकबा 0.20 है0 ग्राम खीप का पुरा (जगर) की खातेदारी अपने नाम कराने के अधिकारी साबित हैं तथा वादीगण, प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से भी पाबन्द कराने के भी अधिकारी साबित हैं। ऐसे हालात में वादीगण का दा[illegible] स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.26 11:49:14 IST
Reason: SelfAttested

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवा[illegible] बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री कि[illegible] नम्बर 656 रकबा 17 बिस्वा के दौराने सेटिलमेन्ट कायम किये गये [illegible] खसरा नम्बर 2595 रकबा 0.20 है0 ग्राम खीप का पुरा तहसील सूरौठ के खातेदार जवाहरसिंह मानसिंह बहादुरसिंह पि0 रामसहाय हि01/2 राहिन ओबीसी शाखा हिण्डौन लखनलाल पुत्र रूपसिंह हि01/2 जाति जाट सा0देह खातेदार के स्थान पर वादीगण गिरधारी,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

मेघराम पिसरान प्रीतम जाति जाट निवासी खीप का पुरा को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा पूर्व के इन्द्राज हजफ करने के आदेश दिये जाते हैं तथा रहन मुर्तहिन का इन्द्राज प्रतिवादीगण की शेष आराजीयात पर यथावत रहेगा। हाल खसरा नम्बर 2595 रकबा 0.20 है0 ग्राम खीप का पुरा तहसील सूरौठ पर रहन मुर्तहिन का इन्द्राज नहीं रहेगा। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2595 रकबा 0.20 है0 ग्राम खीप का पुरा तहसील सूरौठ में वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत प्रतिवादीगण ना तो स्वंय करें और ना ही किसी अन्य से करावें। उक्त भूमि को वादीगण को शान्ति पूर्वक काश्त करने देवें। प्रतिवादीगण ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि जिससे वादीगण के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे। तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26.02.2021
(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.26 11:49:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner